न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता० दायरा	निर्णय तिथि
53/2022	प्रा०पत्र 88, 91 RTA	22.04.2022	14.03.2024

भगवानाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी दान्दू तहसील व जिला चूरू राज.

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91
राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया वादी

आदेश

वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ताऊ गुलाराम व पिता कुंभाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 57 व 60 रोही मौजा दान्दू तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है। वादी के ताऊ गुलाराम विवाहित होते हुए भी लावल्द फौत हुए जिससे वादी की माता एवं गुलाराम की पत्नी मनभरी ने गुलाराम की मृत्यु के ठीक 12 दिन बाद वादी के पिता कुंभाराम से विवाह (नाता) करने पर कुंभाराम के नुत्फे से पांच पुत्र भगवानाराम (पुत्र मौजूद), गणपतराम (पुत्र मौजूद), लिछमणराम (पुत्र लावल्द फौत), विद्याधर (पुत्र मौजूद), रामेश्वर (पुत्र मौजूद) पैदा हुए जिसमें वादी का जन्म मनभरी का कुंभाराम से विवाह होने के 7–7 1/2 माह बाद जब वादी पैदा हुआ तो बच्चे का गर्भ काल 9 मानकर वादी को गुलाराम का पुत्र मान लिया जबकि वादी की माता के अनुसार वादी का पिता गुलाराम न होकर कुंभाराम ही रहा है। गुलाराम व कुंभाराम की मृत्यु होने पर उनके खातेदारी कब्जा व काश्त व हक हिस्सा की पांति में आई वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 57 व 60 रोही ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू का जो राजस्व रेकॉर्ड तैयार किया गया उसमें भगवानाराम पुत्र गुलाराम, मनभरी बेवाह कुंभाराम,गणपतराम, लिछमणराम,विधाधर, रामेश्वरलाल पिसरान कुंभाराम बहिस्सा बराबर कौम जाट सा.देह खातेदार अंकित कर दिया गया, अगर वादी गुलाराम का पुत्र होता तो वादी बहिस्सा बराबर का खातेदार न होकर 1/2 हिस्सा का खातेदार होता, इससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी गुलाराम का पुत्र न होकर कुंभाराम का पुत्र है । राजस्व रेकॉर्ड में पिता का नाम गुलाराम गलत अंकित कर दिया गया है तथा इसी अनुसार वादगत कृषि भूमि का राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने खसरा नम्बर 60 का खाता विभाजन कर [illegible] खसरा नम्बर 478/60 में वादी के पिता का नाम अलग खाता विभाजन [illegible] अंकित कर दिया गया । इसके अतिरिक्त वादी को ग्राम में [illegible] जाना पहचाना जाता है तथा सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा [illegible] कार्ड, वोटर आईडी, [illegible] कार्ड आदि में भी वादी का नाम भगवानराम पुत्र कुमाराम अंकित है। राजस्व अभियान 20[illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी पटवारी द्वारा रिपोर्ट की [illegible] है जिसमें भी यह नाम [illegible] की दिनांक 30.10.2021 को रिपोर्ट पेश की है । रोही खाजुवाला में स्थित भूमि में जो वादी को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत प्राप्त हुई है में भी वादी के नाम भगवानाराम पुत्र कुंभाराम अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत अंकित नाम के कारण वादी सरकारी योजनाओ का लाभ जो कृषकों को प्राप्त है का लाभ नही ले पा रहा है इसलिये वादी के लिये राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है । इसके लिये वादी ने प्रतिवादी को बार –2 निवेदन किया गया परन्तु दिनांक 05.04.2022 को प्रतिवादी द्वारा साफ इन्कार कर दिया इसलिये वादी द्वारा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद वाद राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी को बिना 80 सीपीसी का नोटिस दिये प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे ।

(क) घोषणा की इस आशय की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 478/60 तादादी 1.5808 हैक्टेयर रोही मौजा दान्दू तहसील व जिला चूरू का वादी भगवानाराम पुत्र कुंभाराम खातेदार काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि खसरा नम्बर 478/60 तादादी 1.5808 हैक्टेयर रोही मौजा दान्दू तहसील व जिला चूरू के राजस्व रेकॉर्ड में भगवानाराम पुत्र गुलाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी दान्दू के स्थान पर भगवानाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी दान्दू हिस्सा पूर्ण अंकित किया जावे, राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग)खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे । कृपा होगी।

वादी का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन तलबी की गयी।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू द्वारा पत्र कमांक भू.अ./2023/105 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि ''वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 478/60 तादादी 1.5808 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम दांदू तहसील चूरू में वादी द्वारा अपना राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम भगवानाराम पुत्र गुलाराम के स्थान पर भगवानाराम पुत्र कुंभाराम किये जाने बाबत पटवारी हल्का घांघू से रिपोर्ट प्राप्त की गई । पटवारी हल्का घांघू द्वारा अपनी फर्द मौका प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दांदू के आम चौक में उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि भगवानाराम गुलाराम का पुत्र है । गुलाराम एवं कुंभाराम सगे भाई थे। गुलाराम की मृत्यु के पश्चात भगवानाराम की माता का पुनर्विवाह कुंभाराम के साथ कर दिया गया । भगवानाराम का पालन पोषण कुम्भाराम के द्वारा किया गया ।'' अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। राजपैरोकार को जबाब हेतु कहा जाने पर उन्होनें तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट को ही जबाब माना जाने हेतु निवेदन किया गया ।

पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी जाने पर वादी के अधिवक्ता द्वारा दावा में प्रस्तुत दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जावे । इसलिये साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में रखी गयी । राजपैरोकार द्वारा अपने जबाब व पटवारी रिपोर्ट को ही माना जाकर वाद का निस्तारण का निवेदन किया गया । वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी के अधिकवक्ता द्वारा वाद के तथ्यों को दोहराते हुए, व उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी वाद स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध वादी के वाद मय संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि गुलाराम की मृत्यु के पश्चात वादी की माता मनभरी द्वारा पुनर्विवाह कुंभाराम के साथ हुआ है तथा भगवानाराम का जन्म गुलाराम की मृत्यु के पश्चात हुआ है परन्तु कितने [illegible] हुआ है यह तय नहीं है क्योंकि वादी द्वारा अपना जन्म 7–1/2 माह बा[illegible] गया है जबकि तहसीलदार चूरू के जबाब में यह अवधि 3 माह बाद बतायी गयी [illegible] अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] किये गये हैं वह वादी के जन्म से काफी वर्ष बाद अपने स्वयं के [illegible] किये व करवाये गये हैं, उनके अवलोकन से यह तय नही होता है कि वादी का वा[illegible]क पिता कौन है? जबकि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी का अधिकार उक्त दस्तावेजात से पूर्व में ही तय हो चुका है। वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में वादगत भूमि के विभाजन के समय राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों द्वारा गलत प्रविष्टि कर दिया जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु इसका कोई प्रमाण, अपने वादपत्र, शपथ पत्र के अतिरिक्त प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादी के पिता का नाम गुलाराम की बजाय कुंभाराम होना चाहिए। उक्तानुसार वादी अपने वाद के तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गुलाराम की मृत्यु पर उसके उतराधिकारियों एवं वादी की माता मनभरी की मृत्यु होने पर तत्समय उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार उनकी सम्पति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तय किये जा चुके है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वादी का वाद पत्र मय दस्तावेजात एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय दस्तावेजात, जवाब पैरोकार राज के अवलोकन एवं उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन के पश्चात् यह जाहिर होता है कि वादी अपने वाद पत्र में अंकित तथ्य कि "राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टि की गयी है", यह प्रमाणित करने में असफल रहा है। ना ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता है कि राजस्व अभिलेख में राजस्व कार्मिकों या अधिकारियों द्वारा वादगत कृषि भूमि में कोई गलत प्रविष्टि की गयी हो। इस प्रकार वादी द्वारा चाही गयी घोषणा राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टि की नहीं होने से वाद राजस्व न्यायालय का न होकर वादी के वाद के तथ्यों के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से सम्बन्धित है, इस आधार पर वादी का वाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादी द्वारा पेश वाद पत्र अन्तर्गत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 88 के प्रावधानों में कवर नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगें।

आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

भगवानाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी दान्दू तहसील व जिला चूरू राज.

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 90, 92ए आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 53 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी सुरेन्द्र बुडानिया वादी मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादी के खिलाफ वादी द्वारा पेश वाद पत्र अन्तर्गत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 88 के प्रावधानों में कवर नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested